हिन्दुस्तान
नोएडा • शुक्रवार • 23 दिसंबर 2011

ई-जर्नल्स की अनिवार्यता मामला कोर्ट में

ग्रेटर नोएडा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने देश के सभी तकनीकी कॉलेजों को ई-जर्नल्स खरीदने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। कॉलेजों को एआईसीटीई से अगले सत्र का अप्रूवल लेने के लिए ई-जर्नल्स खरीद का बिल वाउचर भी लगाना है। एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बीते 18 नवंबर को केन्द्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को एक पत्र के माध्यम से एआईसीटीई की मनमानी की जानकारी दी थी।

ईपीएसआई ने इससे जुड़े कुछ सुझाव भी दिए थे। ईपीएसआई ने संसाधन मंत्री से जल्द मसले का निपटारा करने की अपील की थी। उस समय निपटारा नहीं होने पर हाईकोर्ट का सहारा लेने का अल्टीमेटम दिया था। निर्णय नहीं हो पाने पर ईपीएसआई ने 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन एआईसीटीई के मुख्य वकील नहीं पहुंचे। जूनियर वकीलों ने ईपीएसआई के सुझावों पर एआईसीटीई से विचार के लिए समय मांगा है। अब इसकी सुनवाई दो जनवरी को होगी।